संख्याः 1559/VII-2-16/78–एम0एस0एम0ई0/2015

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
पटेल नगर, देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग देहरादूनः दिनांकः २० सितम्बर, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः–2112/उ0नि0/छः/16/शि0पु0/2015–16 दिनांक 09.09.2016 के क्रम में एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26.07.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में **"उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना" में प्राविधानित धनराशि ₹5.00 लाख (₹ पांच लाख मात्र)** संलग्न **अॅलाटमेंट आई0डी0** के अनुसार निम्न प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारियों को स्वीकृत धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से साफ्टवेयर द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें। स्वीकृत धनराशि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जायेगी।

(ii) वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(iii) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26.07.2016 में इंगित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा।

(v) योजनान्तर्गत पुरस्कृत किये जाने वाले शिल्पियों का विवरण अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके उपरांत ही अगले वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(vi) स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2017 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्षक–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 103–हथकरघा उद्योग, 14–उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना की मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामे डाला जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26.07.2016 में इंगित दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नकः– ॲलाटमेंट आई0डी0 ।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1559(1)/VII-2-16/78–एम0एस0एम0ई0/2015,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओवराय विल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपालपानी, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, Small & Medium Scale Industry (S066)

पत्र संख्या - .

ान संख्या - 023

अलोटमेंट आई डी - S1609230325

आवंटन पत्र दिनांक -20-Sep-2016

HOD Name - Director Industries (2052)

: लेखा शीर्षक 2851 - ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 00 -

103 - हथकरघा उद्योग

14 - उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना

00 - -

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	500000	500000
	0	**500000**	**500000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 500000